जनता की सेवा के लिए मैं हर समय तैयार हूँ।

अशोक द्वारा रज्जुकों को लोकहित के कार्य करने की ~~[illegible]~~ स्वतंत्रता →

अशोक ने रज्जुकों को न्याय सम्बन्धी सभी अधिकार दे दिए ताकि वे बिना किसी रुकावट के लोकहित के कार्य कर सकें और उसका आदर्श पूरा हो। उन्हें उपहार और दण्ड देने की पूरी स्वतंत्रता थी। जिन कैदियों को फाँसी की सजा होती थी उन्हें तीन दिन की मुहलत देने का नियम बनाया गया। प्रत्येक वर्ष किसी विशेष अवसर पर (अभिषेक दिवस अथवा जन्मदिवस) कैदियों को क्षमा कर जेल से छुटकारा दिलाया जाता था। अशोक ने धम्म-विजय, धम्म यात्रा और धम्म-श्रवण की व्यवस्था करवायी और सभी धम्म वालों को वास की सुविधा दी गयी। उसने पशुओं तथा मानव कल्याण के लिए समान रूप से काम किया। उसने भूमि कर की राशि में भी कमी कर दी। इस प्रकार अशोक ने अपने प्रशासनिक सुधारों द्वारा मौर्य साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया।

सम्पूर्ण शासन व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु तो सम्राट ही था, किन्तु अशोक प्रजा के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निबाहने में पूर्ण जागरूक था

प्रजा पालन तथा उनके हित-चिन्तन ही अशोक के जीवन का एक मात्र ध्येय रह गया था। अपने श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं, प्रजा वत्सलता और अहिंसात्मक नीति के कारण उसने शासन के दुर्बल्यों का इतनी कुशलता से पालन किया था कि उसके विशाल साम्राज्य में पूर्ण शान्ति व्यवस्था तथा समृद्धि व्याप्त थी।

मंत्री परिषद :-

शासन व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए एक मंत्रीपरिषद थी जो सम्राट को सभी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देती थी। वह सम्राट के किसी भी गूढ़ विषय पर वाद-विवाद कर सकती थी अथवा सम्राट द्वारा की गई किसी घोषणा के सम्बन्ध के सुधार का प्रस्ताव उपस्थित कर सकती थी। राजाज्ञा का पालन करना, विवादास्पद विषयों पर को राजा के पास निर्णय के लिए भेजना, राजा की नीतियों और आज्ञाओं को कार्यान्वित करवाना, राजकर्मचारियों को सलाह देना एवं उन पर नियंत्रण रखना आदि मंत्रिपरिषद के अन्य महत्वपूर्ण कार्य थे।

सम्राट के प्रमुख सहायक उपराजा होता था जो राजकुमार होता था। अशोक के समय में उसका भाई तिष्य उपराजा था। दूसरा सहायक युवराज होता था। वह भी राजकाज में सम्राट को सहायता देता था। तीसरा प्रमुख सहायक अग्रमात्य होता था। अशोक के समय राधागुप्त अग्रमात्य था।

स्वायत्त शासन

अशोक के 13 वें शिलालेख से पता चलता है कि उसके साम्राज्य में कुछ ऐसे राज्य थे जो अशोक की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे किन्तु उन्हें स्वशासन का अधिकार प्राप्त था। ये राज्य थे – यवन, कम्बोज, नाभक, नाभपांति, आन्ध्र, भोज, परिन्द आदि।

प्रान्तीय शासन

समस्त साम्राज्य पाँच प्रान्तों में विभाजित था। (I) प्राच्य – जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी (II) उत्तरापथ – जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। (III) अवन्ति पथ – जिसकी राजधानी उज्जैन थी (IV) कलिंग – जिसकी राजधानी तोसली थी। (V) दक्षिणापथ – जिसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी।

पाटलिपुत्र के सम्राट रहता था जो प्राच्य तथा मध्य देश का शासन स्वयं करता था। शेष प्रान्तों का शासन राजकुमार करते थे। प्रान्तीय अधिकारियों पर केन्द्र का नियंत्रण रहता था।